भारत सरकार

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय 9 वी मंजिल, 'डी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए. सी. गार्डस, हैदराबाद 500 004

टेलिफैक्स : 040-23425467



GOVERNAMENT OF INDIA

Office of the
Principal Chief Commissioner of Income Tax
9th Floor, 'D' Block,
Income Tax Towers, A.C. Guards,
Hyderabad - 500 004.

Telefax: 040-23425467

दिनांक: 22.04.2021

फा.सं.७(१४)/प्रमुआआ/हैद/रा.भा/वा.का/2021-22

सेवा में/To आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना प्रभार के सभी कार्यालय प्रधान All the Heads of Offices in Andhra Pradesh & Telangana Charge

महोदय/महोदया/Sir/Madam,

विषय: 2021-22 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य।

Sub: Target fixed in the Annual Programme for the year 2021-2022.

उपर्युक्त विषय पर आयकर विभाग के कार्यालयों में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम की प्रति अनुपालन के लिए भेजी जा रही है। अनुरोध है कि अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

On the subject cited above, a copy of the Annual Programme regarding the targets for the year 2021-22 for the proper implementation of Official Language Policy in respect of offices of the Income Tax Department is enclosed for compliance. It is requested that necessary action may be taken to achieve this target in your all subordinate offices.

भवदीय/Your faithfully,

(पीयूष सोनकर / Peeyush Sonkar)

Water that

आयकर आयुक्त(प्रशा. व करदाता सेवाएँ)

Commissioner of Income Tax(Admn. & TPS)

संलग्नक/Encl: यथोपरि/As above

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	<u>"क" क्षेत्र</u>	"ख" क्षेत्र	" <u>ग" क्षेत्र</u>
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र का 10	 0% 1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 0% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 5% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 0% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 	55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 90% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	70%	60%	30%
5.	कार्यक्रम हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैया करना	र 100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संद पुस्तकों को छोड़क पुस्तकालय के कुल अनुदान से डिजिटल वस्तुओं अथ हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रे और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी अनुवाद पर व्यय की गई रा सहित हिंदी पुस्तकों की खर्र पर किया गया व्यय।	न्र में ति जी में शि	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।), 100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12	. नागरिक चार्टर तथा जन सू बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभ हो	वना 100 % गाषी	100%	100%

}							
1	13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम्)		
		द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर					
		स्थित कार्यालयों का निरीक्षण					
		(कार्यालयों का प्रतिशत)					
		(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)		
		(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण			
1	14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)				
		(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)			
1	15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%		
1	16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/	40%	30%	20%		
		उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	(न्यूनतम अनुभाग)				
			सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया				
	जाए ।						

जाए ।